

आदेश

महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-818/महा०नि०/प्रा०शि०/2025, दिनांक-19.11.2025 एवं निदेशक, प्रा०शि०, उ०प्र० कानपुर के पृ०सं०-66430-610/जे-प्रशा०-109-विविध, दिनांक-19.11.2025 के अनुपालन में The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 के तहत संस्था स्तर पर Internal Complaint Committee का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्रीमती ऋचा मौर्या	व्याख्याता यांत्रिक अभि० - अध्यक्ष	8354849187
2	सुश्री वर्तिका उपाध्याय	व्याख्याता-अंग्रेजी - सदस्य	7234814860
3	सुश्री वैशाली सिंह	व्याख्याता-इलेक्ट्रानिक्स - सदस्य	9454763314
4	श्री गौरव कुमार	व्याख्याता-यांत्रिक अभि० - सदस्य	8249847835
5	श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा	वरिष्ठ सहायक - सदस्य	9415670067

उपरोक्त कमेटी द्वारा संस्था में महिला उत्पीड़न रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए महिला उत्पीड़न सम्बंधी कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 (छायाप्रति संलग्न) वर्णित प्राविधानानुसार प्रकरण का निस्तारण कराया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

प्रधानाचार्य,

कार्यालय, प्रधानाचार्य-राजकीय पॉलीटेक्निक, छबिलहाखोर सदर-बस्ती।

पृ०सं०: 901-06 /स्था०-समिति गठन/2025-26

दिनांक: 20 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा-पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।
4. श्री मो० अब्दुल्लाह, व्याख्याता-भौतिकी/संस्थागत वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि संस्था की वेबसाइट व सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त समिति के प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कमेटी में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
6. संस्था के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।


प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक
छबिलहाखोर सदर-बस्ती (उ०प्र०)